

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2026/221

-:: आदेश ::-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी.....धारणा..... व भू.अ.नि. धारणा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा
आधार कार्ड, जनाधिकार कार्ड, राशन कार्ड, उपशासक धारणा कागज
पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	देवपुरा	188, 189, 190, 191, 1837,	सुजा पुत्र-	सुजान सिंह पुत्र
02	धारणा	481, 486,	- रामा	रामा सिंह
03	रेल्वे की सा	84,		

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/ 200
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 13-03-2026

- तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- प्रार्थी/प्रार्थीगण.....सुजान सिंह पुत्र रामा सिंह जाति पुरोहित निवासी देवपुरा
तहसील सिवाना/समदड़ी जिला बालोतरा
- रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)